भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3150

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण तंत्र

3150. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और वहनीयता, बाजार मूल्य स्थिरता और उपभोक्ता हितों के संरक्षण सहित खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, मूल्य नियंत्रण उपायों, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, स्थानीय बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): केंद्र सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सफलतापूर्वक लागू कर रही है, जो मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन किफायती दामों पर उपलब्ध हो सके।

यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और इसके सुचारू कार्यकरण तथा ऐसी प्रणाली में कार्यरत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकानों के स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान करता है।

...2/-

केंद्र सरकार ने खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को खरीद से लेकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरण तक एकसमान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार और जारी की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980, सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए विधायी और प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं, ताकि उनकी आपूर्ति को बनाए रखा जा सके या बढ़ाया जा सके, उनका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके और उचित कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, तथा खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी/कालाबाजारी को रोका जा सके।

जमाखोरी और अनुचित अटकलों को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समय-समय पर आवश्यक खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा निर्धारित की जाती है। स्टॉक रखने वाली संस्थाओं द्वारा स्टॉक सीमा के अनुपालन को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए जाते हैं और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं।

दालों के स्टॉक रखने वाली संस्थाओं, जैसे व्यापारियों, मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, आयातकों और बड़े खुदरा विक्रेताओं के पास दालों के स्टॉक की निगरानी के लिए एक स्टॉक घोषणा पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से ये संस्थाएं साप्ताहिक आधार पर अपने पास उपलब्ध दालों के स्टॉक को पंजीकृत और सार्वजनिक कर सकती हैं। पंजीकरण और स्टॉक की जानकारी की स्थिति की निगरानी की जाती है और स्टॉक रखने वाली संस्थाओं के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित बैठकें करने और कीमतों, जमाखोरी, अटकलबाजी और मुनाफाखोरी, अनुचित और अवैध व्यापार प्रथाओं जैसे कार्टेलिंग आदि पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

आवश्यक वस्तुओं के व्यापारी समूहन (कार्टेलाइजेशन), जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में वर्ष 2016 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि शामिल थे। अब तक इस समूह की 22 बैठकें हो चुकी हैं।

*****